


प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/ अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है। अतः प्रकरण लोक अदालत में रेफर किया जाता है। पक्षरान दिनांक 3.6.12 को लोक आदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

महाराष्ट्र
 न्यायिक इकाय
 2012-13

5.6.2012

पक्षवाली आज राज ख ले अदालत "पक्ष
 अचछे हार" आमीयान में पक्षवाली पक्ष
 हार प्रायग का पक्ष हार विवेक दिना
 ति वो पक्ष में अगो हार कार्यवाली
 नही चाहते हैं अतः पक्ष नही कार्यवाली
 इली रूप वर हार नही जाली वली ह
 विवेक वर अतः नही कार्यवाली इली
 रूप वर हार नही जाली ह वराली
 विवेक हार संख्या से उम ल
 मिठरि सुनयो जया।



महाराष्ट्र न्यायिक इकाय
 2012-13

महाराष्ट्र न्यायिक इकाय
 2012-13

महाराष्ट्र न्यायिक इकाय
 2012-13